



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्या:- 25 / 2022

शीर्षक:- मियाला उर्फ माला बनाम यदुनन्दन

दिनांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर / सूचना
नं.

14.01.2025

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मिसाल तलबी हेतु प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य समझौता हो जाने से सिगह से पत्रावली आज ही तलब फरमायी जावे एवं पत्रावली में आज कार्यवाही किए जाने का आदेश प्रदान फरमावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली में नियत तिथि 29.01.2025 अंकित है, किन्तु तलबी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को विद्धो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अब पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता जीवनसिंह रावत द्वारा एवं विपक्षीगण की पहचान उनके अधिवक्ता मुकेश देवपुरा द्वारा की गई। पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली खारिज(विद्धो) की जाती है। पत्रावली तदनुसार निर्णित हो।

(गोविन्द सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमन्द

मियाला
उर्फ माला
बनाम
यदुनन्दन

GS